पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन निदेशालय)

बिहार सरकार

अनुदानित दर पर तीन प्रजनन योग्य बकरी (एक ईकाई) वितरण हेतु विज्ञापन।

आवेदन– विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त ऑनलाईन लिंक खुलने के पश्चात 21 दिनों तक ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया जा सकता है। वैसे परिवार जिनकी वार्षिक आय रूपये –1.25 लाख (एक लाख पचीस हजार) मात्र से कम हो को इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर दिये गये लिंक पर जाकर अपने आधार संख्या/वोटर कार्ड संख्या से पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन के साथ सभी वांछित कागजातों/अनुलग्नकों को अपलोड करना होगा, जो मुख्य रूप से निम्न है :–

बैंक खाता संख्या	बैंक का नाम, खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड (पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति)
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति	जाति प्रमाण पत्र
संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत	आय प्रमाण पत्र
अन्य	फोटो, आधार संख्या/ 16 अंकीय वर्चुअल आईडी (वी.आई.डी.) संख्या, वोटर आई0डी0, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, बी0पी0एल0 कार्ड/ बी0पी0एल0 राशन कार्ड

- **प्राथमिकताएँ–** वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के तहत समेकित बकरी एवं भेंड़ विकास योजनान्तर्गत राज्य में बकरी विकास के लिये आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, जिनकी वार्षिक आय रूपये –1.25 लाख (एक लाख पचीस हजार) मात्र से कम हो वैसे परिवारों के बीच उन्नत नस्ल के तीन प्रजनन योग्य बकरी (एक इकाई) अनुदानित दर पर वितरण किया जाना है। लाभुकों का चयन **"पहले आओ, पहले पाओ"** के आधार पर किया जायेगा। कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों का चयन जिला स्तर पर किया जायेगा।

क्र0 सं0	कोटि	उन्नत नस्ल के तीन प्रजनन योग्य बकरी (एक इकाई) का अनुदानित दर पर वितरण	औसत अनुमानित अधिकतम मूल्य (रूपया में)	प्रति बकरी इकाई अनुदानित दर (रूपया में)
1	सामान्य जाति	2013	15,000	12,000
2	अनुसूचित जाति	4404	15,000	13,500
3	अनुसूचित जनजाति	1475	15,000	13,500

1. **चयन–** वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत योजना एवं **कार्यान्वयन अनुदेश** के आलोक में लाभुकों का चयन किया जाएगा।
2. **विशेष जानकारी संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।**
3. **विस्तृत निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश विभाग के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html** से डाउनलोड किया जा सकता है।

निदेशक, पशुपालन।

PR No.- 011146 (Animal)D. 2025-26